

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०१७

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, २०१७

वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१७ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये छः हजार नौ सौ छियासठ करोड़ सात लाख बावन हजार आठ सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ६९,६६,०७,५२,८०० का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

विनियोग.

अनुसूची (धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन	पूँजी १००	०	१००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व २४,५५,००,०००	१,००,०००	२४,५६,००,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व १२,००,१००	०	१२,००,१००
१२.	ऊर्जा	राजस्व ४८,४५,८२,००,००० पूँजी २००	६३,१३,३५,००० ०	४९,०८,९५,३५,००० २००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व ८००	०	८००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
१७.	सहकारिता	राजस्व १०० पूंजी ८७,९२,००,०००	० १०० ० ८७,९२,००,०००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व ७०,००,००,००० पूंजी १००	० ७०,००,००,००० ० १००
२२.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	राजस्व १६,२५,०००	० १६,२५,०००
२३.	जल संसाधन	पूंजी १००	० १००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी २,७०,००,०१,२००	० २,७०,००,०१,२००
२६.	संस्कृति	राजस्व १,००,००,०००	० १,००,००,०००
३०.	ग्रामीण विकास	पूंजी ६,९२,८९,८९,०००	० ६,९२,८९,८९,०००
३२.	जनसंपर्क	राजस्व २०,००,००,०००	० २०,००,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	पूंजी २,५४,८२,००,०००	० २,५४,८२,००,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी १००	० १००
५३.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व १,१८,८७,०७,०००	० १,१८,८७,०७,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व २,३६,७५,०००	० २,३६,७५,०००

